न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियार सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

निगरानी 68-III-15

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

11 / 9.1.15

शिवधारी जायसवाल तनय रामऔतार जायसवाल, उम्र 62 वर्ष, निवासी ग्राम चरैया, तहसील, हनुमना, जिला-रीवा (म0प्र0)
------निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती रामकली हरिजन पत्नी श्री वेणीमाधव हरिजन निवासी ग्राम चरैया, थाना व तहसील हनुमना जिला रीवा (म0प्र0)
2. शासन म0प्र0
----गैरनिगरानीगर्तागण

श्री ... पाण्डेय एड के द्वारा आज दिनांक 9-1-15 प्रस्तुत किया गया।
रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध प्रकरण क्रमांक 29/अ74/02-03 आदेश दिनांक 28/01/03 न्यायालय तहसीलदार तहसील हनुमना जिला रीवा(म.प्र.)
निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0 भू-राजस्व सहित 1959

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैः-

यह कि आराजी नम्बर 138/1 रकवा 0.433 हेक्टेयर स्थित ग्राम चरैया 282 पटवारी हल्का नम्बर 19 रा0नि0मं0 खटखरी, तहसील हनुमना जिला रीवा के भूमिस्वामी जगदीश प्रसाद मिश्रा थे, आवेदक के द्वारा उक्त आराजी का अंश भाग 0.20एकड अर्थात 0.81 आरे एवं उस पर स्थित 3 पेड़ आम को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख 06/07/2002 को 24000/-रुपयें प्रतिफल भुगतान कर क्रय किया था तथा क्रय दिनांक से ही उक्त भूमि पर काबिज दाखिल है आवेदक के द्वारा क्रय शुदा आराजी का चौहद्दी उत्तर शिवधारी की भूमि, दक्षिण विक्रेता की भूमि, पूर्व वेनीमाधव की भूमि, पश्चिम कच्चा रास्ता हैं, उक्त चौहद्दी के अनुसार आवेदक मौके से कब्जा दखल भी प्राप्त किया और खेती कास्तकारी कर अपना जीवन यापन कर रहा है गैर निगरानीकर्ता रामकली के द्वारा भी उक्त आराजी का अंश भाग तीन वर्ष बाद 03 मे क्रय किया और आवेदक के चोरी छिपे उक्त जमीन का नक्शा वर्ष 2003 मे तारमीम करवाया, नक्शा तरमीम करवाते समय आवेदक को कोई सूचना या इस्तहार प्रकाशित नही की गई, आवेदक सरहद्दी कास्तकार था तथा उक्त आराजी को ही क्रय किया था, इसलिये आवेदक को बिना सुने कोई भी कार्यवाही या आदेश पारित नही किया जा सकता जिसकी अनदेखी किया जाकर आवेदक के द्वारा क्रय किये गये आराजी व कब्जा दखल के रकवे पर गैर निगरानीकर्ता रामकली ने नक्शा तरमीम करा लिया है जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी माननीय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

क्रमांक 4251
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ... को प्रेषित
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अं.नि. शिवधारी

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 684-III/15 जिला रीवा

शिवधारी / रामकली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.8.15	प्रकरण में आवेदक की ओर से आवेदक अभिभाषक श्री बृजेन्द्र पाण्डेय उपस्थित। उन्हें प्रकरण को ग्राह्यता सहित धारा 5 एवं धारा 52 स्थगन आवेदन पर सुना गया। प्रकरण में मुख्य वाद बिन्दु सीमांकन तथा नक्शा तरमीम का है। आवेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से बतलाया कि विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 138/1 का अंश भाग 0.81 है० उन्होंने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया। इसी सर्वे नम्बर का तीन वर्ष बाद अंश रकबा अनावेदिका द्वारा क्रय किया गया, किन्तु अनावेदिका द्वारा गुपचुप तरीके से बिना बटांक तथा बिना आवेदक को सूचना दिये तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 29/अ-74/02-03 आदेश दिनांक 28-01-03 से नक्शा तरमीम का आदेश जारी किया जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। निगरानी ग्राह्य करने एवं धारा 5 अवधिविधान तथा धारा 52 स्थगन स्वीकार करने का निवेदन किया गया है। आवेदक अभिभाषक के तर्कों के क्रम में सम्पूर्ण प्रकरण पत्रिका का अवलोकन किया गया नायब तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 28-1-03 में दोनों पक्षकारों की भूमियों का एवं रकबे तथा विक्रय पत्र का उल्लेख न करते हुए स्पष्ट तथा बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक	

[कृ. प. उ.

3/8

R-66/III/15 (60)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31/8/15	दिनांक 28-1-03 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्षों के विक्रय पत्रों के आधार पर सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर सरहदी काश्तकारों को सूचना देकर नक्शा तरमीम एवं सीमांकन की कार्यवाही करें। तथा विक्रय पत्र के आधार पर ही बटांकन की कार्यवाही की जावे संहिता में निहित प्रावधानों के प्रकाश में प्रकरण का निराकरण करें। उक्त निर्देश के साथ निगरानी प्रकरण समाप्त किया जाता है। सदस्य	